

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :- इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 42/2015/एलआर

अजीत कुमार जैन पिता मन्नालाल जैन
निवासी रावतभाटा हाल मुकाम भोपाल जरिये मु. नामा आम
श्री अजय टेलर पुत्री कैलाश चंद टेलर निवासी मकान नम्बर 76
नया बाजार रावतभाटा पोस्ट भाभानगर रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़
2. पटवारी हल्का बाडोलिया तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध निर्णय एवं आदेश अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
दिनांक 20.07.2015 प्रकरण सं. 9/2013

- उपस्थित -
1. श्री रतनलाल कुमावत - अपीलान्ट अभिभाषक
 2. श्रीमती वन्दना चौखडा - राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक- 10.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का बाडोलिया ने ग्राम झालरबावडी में स्थित आराजी नम्बर 119 को चरागाह हेतु आरक्षित सेट अपार्ट बताते हुए 80x60 कुल 4800 वर्गफीट भूमि पर निर्माण किया गया बताते हुए 15x10 कुल 150 वर्गफीट की दो दुकाने जिन पर शटर लगा हुआ रखा है जिसकी ऊंचाई 10.5 वर्गफीट एवं लोहे की फाटक लगी हुई है। इस आशय की रिपोर्ट श्रीमान तहसीलदार रावतभाटा के यहां प्रिंटेड फार्म पर दिनांक 20/02/2013 को पेश की, उसी दिन उक्त प्रकरण कायम कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन नोटिस न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा के नाम से जारी किया गया। उक्त नोटिस के साथ पटवारी हल्का के आवेदन व मौका रिपोर्ट की कोई नकल नहीं भेजी गई, इस रिपोर्ट में कहीं भी कितने भू-भाग पर पक्का निर्माण है अंकित नहीं किया गया। एक वेग तथ्यों पर आधारित अस्पष्ट नोटिस दिया, जिस पर अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। जवाब के साथ ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो प्रति, कमी स्टाम्प

नोटिस, नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, उपस्वास्थ्य केन्द्र का ट्रेस फोटो, अजमेर विद्युत वितरण निगम का सेवा सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत किया। अपीलान्ट की बहस सुनी। प्रकरण दिनांक 06/03/2013 को निर्णय के लिये कुर्कर कर दिया। दिनांक 06/03/2013 को अधिवक्ता प्रांत व्यापी हडताल होने के कारण वकील अपीलान्ट अनुपस्थित थे। अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने के आदेश दिये, विवादित भूमि पर पडी निर्माण सामग्री को जप्त सरकार कर भूमि कब्जे राज ली जावें। जप्त सामग्री की निलाम कर निलामी राशि राजकोष मे जमा करवाई जावे। अतिक्रमी को लगान के 50 गुणा शास्ति के दण्ड से दण्डित किया जाता है। टी.आर.ए. से मांग कायमी करवाई जावे। पटवार आई.एल. आर. से निर्णय की पालना कराई जावे। उक्त आदेश व निर्णय पूर्णतया गैर कानूनी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ होकर मूलतः अवैध है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे कई बिन्दु बना लिये परन्तु एक भी बिन्दु न तो पटवारी हल्का की तरफ से कोई साक्ष्य हुई न ही उक्त बिन्दु व कथन प्रार्थी पटवारी हल्का प्रमाणित हुआ है। इस प्रकार प्रतिवादी पक्ष की कोई साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं होते हुए जो बेदखली का आदेश दिया है वह निरस्त योग्य है। उक्त सिविल वाद मे अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन की अपील अपीलीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 चित्तौडगढ मे विचारधीन रही है और मूल वाद भी न्यायालय दिनांक 02/07/2015 तक विचारधीन रहा है। मूल वाद मे वाद विद्धो किया गया और सिविल न्यायालय द्वारा कोई निर्णय गुणावगुण पर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायालय मे दिनांक 04/02/2013 को दावा पेश करने के बाद दिनांक 20/02/2013 की झुठी रिपोर्ट तैयार कर धारा 91 ले.रे. एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। यह विवाद जिला कलेक्टर के यह लम्बित था और वहां से निर्णय नहीं हुआ उससे पूर्व ही जिला कलेक्टर की अनुमति लिये बिना ही विधि विपरीत कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ने की है। दिनांक 08/03/2013 अपीलान्ट द्वारा जिला कलेक्टर चित्तौडगढ को निवेदन किया कि नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार रावतभाटा से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है और तब तक कोई निर्णय नहीं सुनाया गया है। एक तरह इस भूमि को चरागाह भूमि बताई जा रही है और दुसरी तरफ इस भूमि को उपस्वास्थ्य केन्द्र नाजायज रूप से बनाने की कोशिश चल रही है। दिनांक 30.10.2017 को अपीलान्ट द्वारा निम्न नजीर पेश की गई, आरआरडी 1996

पेज 480, आरबीजे 1996(3) पेज 456 पैरा 6,7,8, आरआरडी अप्रैल 2005 पेज 221 पैरा 7,8 आदि का भी अवलोकन करवाया। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आदेश एवं सम्पूर्ण कार्यवाही घोषित की जाकर निर्णय दिनांक 20/07/2015 व दिनांक 06/03/2013 को निरस्त किया जावे।

3. दिनांक 10.10.2017 को अपीलान्त की ओर से वकील अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम झालरबावडी पटवार हल्का बाडोलिया तहसील रावतभाटा की वर्तमान आराजी नम्बर 119 जो आबादी उपयोग में आ रही है। पूर्व में रिकॉर्ड में गलत आबादी भूमि को बंजड चरागाह सेटअपार्ट की गई। अपीलान्त द्वारा उक्त विवादित जमीन को दिनांक 22/12/1989 को अर्थात् 29 वर्ष पूर्व जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से ठिकाना भैसरोडगढ जागीरदार शिवचरण सिंह से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है व उक्त रजिस्ट्री इसी तहसील रावतभाटा द्वारा इसी आराजी बाबत की गई है। उक्त जमीन को आबादी मानकर रजिस्ट्री कर दी गई। उक्त जमीन किस्म अनुसार नहीं होकर आबादी भूमि स्कूल, पुलिस चौकी व बस स्टेण्ड के बीच में है जहां पर चरनोट भूमि होने का प्रश्न ही नहीं है। सम्पूर्ण कार्यवाही व निर्णय तहसीलदार द्वारा गलत है उसके आधार पर एडीएम साहब का निर्णय भी गलत है। प्रथमतः जब तक पटवार हल्का द्वारा जो विवादित रिपोर्ट बनाई गई है उसके आधार पर जो निर्णय दिया गया है वह गलत है। इस पर आधार पर जो निर्णय बिना प्रार्थी पटवार हल्का की साक्ष्य के बिना कोई दस्तावेज प्रदर्श किए बिना जिरह अवसर दिए सम्पूर्ण कार्यवाही गलत है को निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से पटवार हल्का के सशपथ बयान व जिरह एवं स्वतन्त्र गवाह के बयान रिकॉर्ड पर नहीं होने से अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार रावतभाटा को प्रतिप्रेषित की जाने की कृपा करावे।

4. वकील अपीलान्त की ओर से लिखित बहस पेश हुई तथा राजकीय अभिभाषक को सुना गया जिनका कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20/07/2015 विधिसम्मत है तथा किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की गई है। ऐसी सूरत में अपील अपीलान्त खारीज की जावे।

5. लिखित बहस एवं राजकीय अभिभाषक द्वारा उल्लेखित तथ्यों का अवलोकन एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्ययन किया गया जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 120 का हिस्सा है जिसके कारण अपीलार्थी अतिकमी की श्रेणी में आता है, साथ ही जागीरदार श्री शिवचरणसिंह के खातेदारी भूमि में से विक्रय विलेख में अंकित भूमि मेल नहीं खाती है। वर्तमान में उक्त भूमि चरागाह के रूप में दर्ज है, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी को बेदखल किये जाने से सम्बन्धित न्यायालय नायब तहसीलदार रावतभाटा के निर्णय को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 09/2013 में पारित निर्णय दिनांक 20/07/2015 के द्वारा यथावत रखे जाने बाबत निर्णय विधिसम्मत है। फलतः अपील अपीलान्त सारहीन होने के कारण खारीज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़